

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/क्रमांक: 86/2022/FWAD c.no.121631

भोपाल, दिनांक 04/06/2022

//आदेश//

विषय:- खरीफ वर्ष 2022 हेतु बीज विक्रय/उपार्जन एवं अनुदान दर निर्धारण बाबत ।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक- 05-05-2022 को सम्पन्न हुई प्रमाणित बीज उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान की दरों के संबंध में बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2022 हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की उपार्जन, विक्रय दर, वितरण अनुदान की दर एवं बीज उत्पादन अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है ।

अ. विभिन्न फसलों की उपार्जन, विक्रय एवं बीज वितरण अनुदान की दरें :-

भारत सरकार की योजना के अंतर्गत तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षों की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है, जबकि धान, मोटा अनाज एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्ष तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों पर अनुदान देय है। अतः फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है ।

क्र	फसल का नाम	प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान रू. प्रति क्विंटल	योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा
1	2	3	4
1	सोयाबीन (15 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम)/NFSM (OS & OP) समस्त जिले
	सोयाबीन (15 वर्ष से अधिक अवधि)	-	निरंक
2	तिल (15 वर्ष तक की अवधि)	रू. 4000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम)/NFSM (OS & OP) समस्त जिले
	तिल (15 वर्ष से अधिक अवधि)	-	निरंक

3	रामतिल (15 वर्ष तक की अवधि)	रू. 4000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम)/NFSM (OS & OP) समस्त जिले
	रामतिल (15 वर्ष से अधिक अवधि)	-	निरंक
4	मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष तक की अवधि)	रू. 4000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम)/NFSM (OS & OP) समस्त जिले
	मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष से अधिक अवधि)	-	निरंक
5	धान सुगंधित (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
	धान सुगंधित (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
6	धान मोटी (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
	धान मोटी (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
7	धान पतली (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
	धान पतली (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के 8 जिलों अनूपपुर, दमोह, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, पन्ना, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
8	मक्का (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज (मक्का) के 15 जिलों छिन्दवाडा, झाबुआ, धार, बैतूल, राजगढ़, खरगोन, रतलाम, अलीराजपुर, सिवनी, मंदसौर, बुरहानपुर, नीमच, बडवानी, सिंगरौली एवं डिण्डौरी में देय होगा ।
	मक्का (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1500 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज (मक्का) के 15 जिलों छिन्दवाडा, झाबुआ, धार, बैतूल, राजगढ़, खरगोन, रतलाम, अलीराजपुर, सिवनी, मंदसौर, बुरहानपुर, नीमच, बडवानी,

		सिंगरौली एवं डिण्डौरी में देय होगा ।
	मक्का हाईब्रिड	रू. 3000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज (मक्का) के 15 जिलों छिन्दवाडा, झाबुआ, धार, बैतूल, राजगढ, खरगोन, रतलाम, अलीराजपुर, सिवनी, मंदसौर, बुरहानपुर, नीमच, बडवानी, सिंगरौली एवं डिण्डौरी में देय होगा ।
9	ज्वार (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल (ज्वार) के 9 जिलों अलीराजपुर, बडवानी, बैतूल, बुरहापुर, छिन्दवाडा, धार, खरगोन, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
	ज्वार (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1500 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल (ज्वार) के 9 जिलों अलीराजपुर, बडवानी, बैतूल, बुरहापुर,, छिन्दवाडा, धार, खरगोन, रीवा एवं सीधी में देय होगा ।
10	कोदो (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल (कोदो) के 15 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, दमोह, डिण्डौरी , जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, शहडोल, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में देय होगा ।
	कोदो (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1500 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल (कोदो) के 15 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, दमोह, डिण्डौरी , जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, शहडोल, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में देय होगा।
11	कुटकी (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल के 15 जिलों में अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, दमोह, डिण्डौरी , जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, शहडोल, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में देय होगा।
	कुटकी (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 1500 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल के 15 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, दमोह, डिण्डौरी , जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, शहडोल, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में देय होगा।
12	मूंग (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 5000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले
	मूंग (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रू. 2500 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले
13	उड़द (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 5000 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले
	उड़द	रू. 2500 /-
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले

(10 वर्ष से अधिक अवधि)		
14 अरहर (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 5000 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले
अरहर (10 वर्ष से अधिक अवधि)	रु. 2500 /-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), समस्त जिले

बीज निगम के प्रस्ताव पर खरीफ वर्ष 2022 हेतु कृषकों के लिये उपार्जन दरें (बोनस सहित), संस्था की सकल विक्रय दर तथा बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है ।

(इकाई रु. प्रति क्विंटल)

क्र.	फसल का नाम	कृषकों के लिए उपार्जन दरें (बोनस सहित)	संस्था की सकल विक्रय दर तथा कृषकों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर (बीज वितरण अनुदान अलग से देय होगा)	प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान की दर जो सीधे कृषकों के खाते में जमा की जावेगी	कृषकों के लिए प्रभावी बीज विक्रय दरें
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	सोयाबीन (15 वर्ष तक की अवधि)	7500	10100	2000	8100
	सोयाबीन (15 वर्ष से अधिक अवधि)	7500	10100	0	10100
2	तिल (15 वर्ष तक की अवधि)	9100	12800	4000	8800
	तिल (15 वर्ष से अधिक अवधि)	9100	12800	0	12800
3	रामतिल (15 वर्ष तक की अवधि)	6950	10600	4000	6600
	रामतिल (15 वर्ष से अधिक अवधि)	6950	10600	0	10600
4	मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष तक की अवधि)	5600	8200	4000	4200

	मूंगफली छिलका युक्त (15 वर्ष से अधिक अवधि)	5600	8200	0	8200
5	धान सुगंधित (10 वर्ष तक की अवधि)	2600	5100	2000	3100
	धान सुगंधित (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2600	5100	1000	4100
6	धान मोटी (10 वर्ष तक की अवधि)	2000	4500	2000	2500
	धान मोटी (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2000	4500	1000	3500
7	धान पतली (10 वर्ष तक की अवधि)	2500	5000	2000	3000
	धान पतली (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2500	5000	1000	4000
8	मक्का (10 वर्ष तक की अवधि)	2000	4600	3000	1600
	मक्का (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2000	4600	1500	3100
9	मक्का हाईब्रिड (10 वर्ष तक की अवधि)	9000	11700	3000	8700
10	ज्वार (10 वर्ष तक की अवधि)	2750	5800	3000	2800
	ज्वार (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2750	5800	1500	4300
11	कोदो (10 वर्ष तक की अवधि)	2500	5500	3000	2500
	कोदो (10 वर्ष से अधिक अवधि)	2500	5500	1500	4000

12	कुटकी (10 वर्ष तक की अवधि)	3000	6000	3000	3000
	कुटकी (10 वर्ष से अधिक अवधि)	3000	6000	1500	4500
13	मूंग (10 वर्ष तक की अवधि)	7300	10400	5000	5400
	मूंग (10 वर्ष से अधिक अवधि)	7300	10400	2500	7900
14	उड़द (10 वर्ष तक की अवधि)	6450	9500	5000	4500
	उड़द (10 वर्ष से अधिक अवधि)	6450	9500	2500	7000
15	अरहर (10 वर्ष तक की अवधि)	6400	9500	5000	4500
	अरहर (10 वर्ष से अधिक अवधि)	6400	9500	2500	7000
जैविक दरें					
1	धान जैविक (10 वर्ष तक की अवधि)	3100	5600	2000	3600
2	मक्का जैविक (10 वर्ष तक की अवधि)	2500	5100	3000	2100
3	कोदो जैविक (10 वर्ष तक की अवधि)	4600	7650	3000	4650
4	कुटकी जैविक (10 वर्ष तक की अवधि)	4600	7650	3000	4650
5	अरहर जैविक (10 वर्ष तक की अवधि)	6600	9700	5000	4700

नोट :

(1) तालिका के कालम क्र. 3 में दर्शाई गई दरों के अनुसार बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित किए गए प्रमाणित बीजों का भुगतान किया जाएगा। इसमें संस्था द्वारा दिए जाने वाले बोनस की राशि भी शामिल है।

(2) तालिका के कालम क्र. 4 में दर्शाई गई विक्रय दर के अनुसार कृषकों को बीज का विक्रय किया जाएगा। कालम क्र. 5 में दर्शाई गई अनुदान की दर के अनुसार बीज वितरण अनुदान का भुगतान उप संचालक कृषि द्वारा सीधे कृषकों के खाते में डी.बी.टी. प्रक्रिया से जमा कराया जावेगा। किसी भी स्थिति में जिले के उप संचालक कृषि द्वारा बीज वितरण अनुदान संस्थाओं को कृषकों को भुगतान करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(3) बीज निमग के विक्रय दर के आधार पर अन्य एजेन्सियों को अनुदान दिया जायेगा।

(ब) खरीफ दलहन, तिलहन एवं न्युट्री अनाज फसलों हेतु प्रमाणित/आधार बीज उत्पादन अनुदान की दरें :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) में तथा नेशनल मिशन ऑन आईल सीड एंड आईल पाम योजनाओं के भारत सरकार, कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शी निर्देशानुसार प्रमाणित/आधार बीज उत्पादन अनुदान में से 75 प्रतिशत राशि बीज उत्पादक कृषक को तथा शेष 25 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-15/01/2016/14-2, भोपाल दिनांक 30-10-2017 में उल्लेखित संस्थाओं तथा केन्द्रीय बीज उत्पादक संस्थाओं के किसानों के द्वारा प्रदेश में उत्पादित एवं उपयोग किये गये बीज पर देय होगी।

प्रदेश की बीज उत्पादक संस्थाएं बीज उत्पादक कृषकों की सूची, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी.कोड संबंधी जानकारी एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जिले के उप संचालक, को उपलब्ध करायेगी, जिसके आधार पर उत्पादक कृषक के खाते में जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा डी.बी.टी. प्रक्रिया से बीज उत्पादन अनुदान जमा किया जायेगा।

1. प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान -

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्युट्री अनाज) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एंड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ वर्ष 2021 में आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित तथा खरीफ वर्ष 2022 हेतु टेगड/पेकड बीज पर प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान खरीफ फसलों की 10 वर्ष तक की अवधि की किस्मों पर ही देय होगा।

क्र	फसल का नाम	प्रमाणित बीज पर उत्पादन अनुदान रु. प्रति क्विंटल	योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा
1	2	3	4
1	अरहर (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 5000/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना से देय होगा। समस्त जिले
2	मूंग (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 5000/-	
3	उड़द (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 5000/-	
4	सोयाबीन (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 500/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एंड आईल पाम) योजना से देय होगा। समस्त जिले
5	तिल (10 वर्ष तक की अवधि)	रु. 2500/-	

6	रामतिल (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2500/-	
7	मूंगफली (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2500/-	
8	कोदो/कुटकी (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्री सीरियल) से 15 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, दमोह, डिण्डौरी, जबलपुर, कटनी, मण्डला, रीवा, शहडोल, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया में देय होगा।
9	ज्वार (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्री सीरियल) से 9 जिलों अलीराजपुर, बडवानी, बैतूल, बुरहापुर, छिन्दवाडा, धार, खरगोर, रीवा एवं सीधी में देय होगा।
10	बाजरा (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 3000/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्री सीरियल) से 4 जिलों भिण्ड, सुरैना, श्योपुरकला एवं शिवपुरी में देय होगा।

2. आधार बीज उत्पादन पर अनुदान :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ वर्ष 2021 में प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पादित तथा खरीफ वर्ष 2022 हेतु टेगड/पेकड बीज पर आधार बीज उत्पादन अनुदान खरीफ की तिलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अवधि की किस्मों पर ही देय होगा।

क्र	फसल का नाम	आधार बीज पर उत्पादन अनुदान रु प्रति क्विंटल	योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा
1	2	3	4
1	सोयाबीन, (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 1000/-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से देय होगा। समस्त जिले
2	तिल, रामतिल, मूंगफली (10 वर्ष तक की अवधि)	रू. 2500/-	

अन्य निर्देश :-

1. एन.एफ.एस.एम. योजना अंतर्गत वितरण/ उत्पादन अनुदान, योजना संचालित जिलों (धान 10 जिले, मक्का 15 जिले, ज्वार 09 जिले, बाजरा 04 जिले, कोदो मिलेट/लिटिल मिलेट 15 जिले) में ही देय होगा,
2. नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इन्द्राज कृषक की बही/ऋण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्तानुसार फसलों के बीज पर बीज वितरण अनुदान/बीज उत्पादन अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर तक बीज की मात्रा पर प्रति हितग्राही के मान से देय होगा।
4. संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज का वितरण का अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें

नगद में स्वयं विक्रय कर सकेगी।

5. म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति द्वारा विक्रय किये गये बीज की सूची जिसमें कृषक का नाम, जाति, ग्राम, विकासखंड, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक खाता क्रमांक, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड सहित पूर्ण जानकारी संबंधित जिले के उप संचालक कृषि को उपलब्ध कराई जावेगी, जिसके आधार पर उप संचालक कृषि द्वारा कृषक के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से बीज वितरण/उत्पादन अनुदान राशि जमा की जावेगी।
6. भारत सरकार की संचालित योजनाओं में डी.बी.टी. प्रक्रिया को दृष्टिगत केंद्रीय बीज उत्पादक संस्थायें (NSC, HIL, KRIBHCO, IFFDC, NAFED, NFL.), सोपा, एम.पी.आर.ए.एफ. (डी.पी.आई.पी.) द्वारा गठित बीज उत्पादक कम्पनियों तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं द्वारा वितरण किये जाने वाले बीजो पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार पूर्व वर्ष की भांति ही अनुदान दिया जायेगा।
7. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा बीज उठाते समय बीज उत्पादक संस्था के केंद्र अथवा विपणन संघ के डबल लॉक केंद्र को रिलीज आर्डर एवं उसके साथ बीज मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (कमीशन की राशि घटाने के पश्चात) संलग्न कर देना होगा।
8. कृषि साख समितियों द्वारा उठाई जाने वाली/प्राप्त की जाने वाली (बीज निगम, बीज उत्पादक समितियों के केन्द्र एवं विपणन संघ के डबल लॉक) बीज मात्रा का शत प्रतिशत विक्रय करना होगा। कृषि साख समिति द्वारा प्राप्त किये गये बीज को बीज निगम तथा बीज उत्पादक समितियों द्वारा वापस नहीं लिया जायेगा।
9. शासकीय/सहकारी बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा सहकारी समितियों को पूर्व से स्वीकृत कमीशन की राशि रू. 100/- प्रति क्विंटल, समिति सेवक को मानदेय प्रोत्साहन राशि रू. 30/- प्रति क्विंटल एवं मार्कफेड (विपणन संघ) को भंडारण की प्रतिपूर्ति हेतु रू. 20/- प्रति क्विंटल के मान से कुल राशि 150 रू. प्रति क्विंटल रहेगा।
10. संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज, सेवा सहकारी समितियों तथा संस्था के केन्द्रों से प्रदेश के कृषकों को बीज वितरण कराने पर ही बीज वितरण अनुदान की पात्रता होगी।
11. प्रत्येक जिले में बीज की उपलब्धता एवं वितरण की केंद्रवार जानकारी संस्थाओं द्वारा उनके पोर्टल पर अंकित करने की एवं इसे निरन्तर अपडेट व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक/क्रमांक: 86/2022/FWAD c.no.121631

भोपाल, दिनांक 04/06/2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, सह पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/उद्यानिकी म.प्र. भोपाल
3. प्रबंध संचालक, बीज निगम/ एम.पी.एग्रो /तिलहन संघ/राज्य सहकारी, बीज उत्पादन एवं विपणन संघ/बीज प्रमाणीकरण संस्था/अपैक्स बैंक/बीज महासंघ, भोपाल
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, NSC,HIL,KRIBHCO,IFFDC,NAFED,SOPA, MPRAF, NFL
5. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग.....समस्त (म.प्र.)

6. उप संचालक/परियोजना संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला.....समस्त (म.प्र.)

विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
भोपाल।

स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।